न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 51/2020 निर्णय दिनांक :– 21.7.20

उनवान

1. हरिओम
2. विष्णु
3. मुकेश
4. गीता
5. संतोष
6. प्रभाती

समस्त पुत्रान मोहरू जाति जाट निवासी तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:28 IST
Reason: SelfAttested

वादी[illegible] की ओर [illegible] निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादीगण की शा[illegible]ाती कब्जे काश्त [illegible]खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

C:\Users\ERO\Downloads\HARIOM VS SARKAR.docx

की भूमि खसरा नम्बर 698, 786, 886, 888, 1291, 2976, 2977, 2983, 2984, कुल किता 9 कुल रकबा 2.52 है0 वाके ग्राम तितरिया तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसको वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा हैं। विवादित आराजी के पुराने साबिक खसरा नम्बर 176 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 179 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 205 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा खसरा नम्बर 319 रकबा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 900 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि संवत 2022 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

वादीगण के दादाजी स्व0 श्योचंदा पुत्र जगन्नाथ जाति जाट सा0 देह खातेदार का स्वर्गवास होने के पश्चात इनका विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 06.06.1989 को इनके वारिस म0 रामप्यारी बेवा श्योचंदा, मोहरू, रामलाल, बाबू, रामप्रसाद पिता श्योचंदा बराबर हिस्सा कौम जाट सा0 देह खातेदार के नाम खोला गया था। उक्त नामान्तकरण को दिनांक 06.06.1989 को ग्राम पंचायत तितरिया द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण सही खुला था।

वादीगण के दादाजी स्व0 श्योचंदा पुत्र जगन्नाथ का विरासत का नामान्तकरण संख्या [illegible] को खुलने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों [illegible] नामान्तकरण की एन्ट्री राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण के [illegible]ताबिक नही की गई है। बल्कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

गलत एन्ट्री करते हुये वादीगण की दादी जो श्योचंदा की पत्नि रामप्यारी है। उस रामप्यारी को श्योचंदा की पत्नि अंकित नही करते हुये वादीगण के पिता मोहरू की पत्नि अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जबकि रामप्यारी मोहरू की माताजी है। तथा मोहरू रामप्यारी का पुत्र है जिससे वादीगण के पिता मोहरू का नाम राजस्व रिकार्ड से लोपित हो गया। जिसे राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से राजस्व रिकार्ड में मु0 रामप्यारी पत्नि मोहरू, रामलाल, बाबू, रामप्रसाद पिता पिता श्योचंदा बराबर हिस्स बराबर कौम जाट सा0 देह खातेदार कर दिया जो कानूनन गलत कर दिया गया जिससे वादीगण के पिता मोहरू का हिस्सा भी उक्त राजस्व रिकार्ड से हट गया तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड 1/4 –1/4 के मुताबिक चल रहा है। जो गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि राजस्व रिकार्ड में मु0 रामप्यारी पत्नि श्योचंदा, मोहरू, रामलाल, बाबू, रामप्रसाद पिता श्योचंदा बराबर हिस्सा बराबर यानि 1/5 – 1/5 हिस्सो के मुताबिक दर्ज होना चाहिये था। जिससे वादीगण वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को स्व श्योचंदा पुत्र जगन्नाथ का विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 06.06. 1989 को खोला गया नामान्तकरण इनके वारिसो के नाम मु0 रामप्यारी बेवा श्योचंदा, मोहरू रामलाल, बाबू, रामप्रसाद पिता श्योचंदा बराबर हिससा बराबर कौम जाट सा0 देह खातेदार के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती [illegible] दर्ज करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द [illegible] जिसके वादीगण कानूनन अधिकारी हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादीगण के पिता मोहरू पुत्र श्योचंदा की भी मृत्यू दिनांक 07.05.2013 को हो चुकी है। जिसका विरासत का नामान्तकरण भी नही खुला है। जिसके जायंदा वारिस वादीगण ही है तथा वादीगण की दादी मु0 रामप्यारी पत्नि श्योचंदा की भी मृत्यू हो चुकी है तथा वादीगण के काका बाबू पुत्र श्योचंदा भी मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण के काका बाबू पुत्र श्योचन्दा भी नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है। जिससे इनका भी विरासत का नामान्तकरण नही खुल पा रहा है। जब वादीगण ने दिनांक 29.02.2020 को पटवारी हल्का से सम्पर्क कर अपने पिता मोहरू का विरासत का नामान्तकरण खुलवाने बाबत कहा तो पटवारी हल्का द्वारा बताया कि मोहरू के कोई जमीन नाम नही है। मोहरू तो रामप्यारी का पति है। राजस्व रिकॉर्ड में यही दर्ज हो रखा है। तब वादीगण ने कहा कि रामप्यारी तो श्योचन्दा की पत्नि है तथा मोहरू श्योचन्दा का पुत्र है। तब पुराने रिकॉर्ड की नकले जानकारी हुई। तब उक्त पुराने व वर्तमान रिकॉर्ड की नकले लेकर इनको दुरस्त करवाने के लिये कहा तो पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि तुम कोर्ट से दुरस्त कराओ। तब ही हम दुरस्त कर सकते है। वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मु. रामप्यारी पत्नि मोहरू, रामलाल, बाबू, रामप्रसाद पि. श्योचन्दा बराबर हिस्सा बराबर कौम जाट सा. देह खातेदार के बजाय वादीगण के दादाजी स्व श्योचन्दा पुत्र जगन्नाथ [illegible] जाट का विरासत का नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक [illegible]6.1989 को खोला गया नामान्तकरण इनके वारिसों के नाम मु. रामप्यारी बेवा श्योचन्दा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:12:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)